


not press
Jharkhand
18/08/2022

18-8-22 पञ्जावली चेष्टा हुई। वकील प्रार्थी
उपाख्यत है। वकील प्रार्थी ने प्राप्ता
को आगे नहीं चलाने का कथन कर
नेट प्रेस किया है। अतः वकील प्रार्थी
के नेट प्रेस किए जाने से धारा 14
लक्ष्यी एक्ट के प्राप्ता को इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर